रजिस्ट्री सं. डी. (सी.एस.)-32 REGISTERED No. D. (D.N)-32

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 1986/श्रावण 1, 1908
No. 355] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1986/SRAVANA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 953(अ):—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के खंड-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय तार नियम 1951 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय तार नियम, 1986 (चौथा संशोधन) कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिन्हें आगे उपर्युक्त नियम कहा गया है) के नियम 429 के उप नियम (3) में,-

(क) "उनका टेलीफान अंतरित करें" शब्दों के बाद "ओ.बाई.टी-सामान्य" अथवा "गैर-ओ.वाई.टी. सामान्य" श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत शब्द जोड़े जाएं,

(ख) शब्द "पांच वर्षों" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित करें।

3. उपर्युक्त नियमों के नियम- 434 में,—

(क) खंड-एक, "3, अंतरण शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत, धारा (ख) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ें अर्थात्।

"(ग) नियम 429 के उप नियम (3) के अंतर्गत स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शन के अंतरण शुल्क 500 रु."

(ख) खंड-IV ए के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"खंड-IV ए,—अंतरण के लिए प्रभार।

(1) खंड-1 में "3 अंतरण शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत धारा (ग) में निर्दिष्ट अंतरण शुल्क के अतिरिक्त नियम 429 के उप नियम (3) के अंतर्गत टेलीफोन अंतरण की अनुमति देने के लिए तार प्राधिकारी द्वारा एकत्रित प्रभार के लिए लागू ओ.वाई.टी. जमा के बराबर राशि, वसूल की जाएगी।

(2) मद (1) में उल्लिखित राशि को हस्तांतरी के नाम ओ.वाई.टी. जमा के रूप में समझा जाएगा"।

[सं. 3-5/83-पी.., एच.ए.]
पी. एम. एंडला, उप महा निदेशक (सी एस)

टिप्पणी :—डाक तार नियम पुस्तक खंड-एक (विधायी अधिनियम—भाग-दो) के प्रकाशन के पश्चात् उक्त नियमों में संशोधन करके 1 सितम्बर, 1984 तक संशोधित प्रमुख नियमों का जारी किया जा चुका है, अर्थात् —

(1) सा.का.नि.सं. 387(ई) दिनांक 22-5-84
(2) सा.का.नि.सं. 679 दिनांक 20 6-84
(3) सा.का.नि.सं. 428 दिनांक 27-4-85
(4) सा.का.नि.सं. 729 दिनांक 03-8-85
(5) सा.का.नि.स. 482 दिनांक 19-10-85
(6) सा.का.नि.सं. 553(ई) दिनांक 27-3-86
(7) सा.का.नि.सं. 314 दिनांक 26-4-86

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 22nd July, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 953 (E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 429, in sub-rule (3),—

(a) after the words "transfer his telephone", the words, "sanctioned under 'OYT-General' or 'Non-OYT-General' category", shall be inserted ;

(b) for the words "five years", the words "one year" shall be substituted.

3. In rule 434 of the said rules,—

(a) in Section I, under the heading "3. Transfer fee", after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) transfer fee for transfer of telephone connection permitted under sub-rule (3) of rule 429 Rs. 500".

(b) for Section IVA, the following Section shall be substituted, namely :—

"Section IVA,—CHARGES FOR TRANSFER

(1) In addition to the transfer fee specified in clause (c) occurring under the heading "3. Transfer fee" in Section I, an amount equivalent to 'OYT' deposit applicable to the Exchange system shall be charged by the Telegraph Authority for permitting the transfer of a telephone under sub-rule (3) of rule 429.

(2) The amount referred to in item (1) shall be treated as 'OYT' deposit in the name of the transferee".

[No. 3-5/83-PHA]

P. S. ENDLAW, Dy. Director General (CS)

Note :—The principal rules after publication of P&T Manual Volume I (Legislative Enactment—Part II) corrected upto 1st September, 1984 amending the said rules have been issued, namely :—

(1) G.S.R. No. 387 (F) dated 22-5-84
(2) G.S.R. No. 679 dated 20-6-84
(3) G.S.R. No. 428 dated 27-4-85
(4) G.S.R. No. 729 dated 03-8-85
(5) G.S.R. No. 482 dated 19-10-85
(6) G.S.R. No. 553(E) dated 27-3-86
(7) G.S.R. No. 314 dated 26-4-86.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986